

कार्यालय शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) उदयपुर मण्डल, उदयपुर

॥ कार्यालय-आदेश ॥


NON-TSP & TSP

राजस्थान अधिनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के प्रावधानानुसार गठित विभागीय चयन समिति द्वारा पृष्ठांकित सूची अनुसार तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों को वर्ष 2017-18 की रिक्तियों के विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक-उर्दू (द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक) (पे बेण्ड 9300-34800 ग्रेड पे-4200) के पद पर पदोन्नति हेतु चयन किये जाने से इन्हे वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नत किया जाकर पदस्थापन स्थान उनके नाम के सामने अंकित विद्यालय में किया जाता है।

इन्हें दिनांक 06-11-2017 तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने पर इनका स्वतः पदोन्नति परित्याग माना जावेगा। इनका पदोन्नति पर वेतन राजस्थान सेवा नियम 26 'ए' के प्रावधानानुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना में नियमानुसार निर्धारित किया जावे। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7 (1)कार्मिक/ क-2/95 दिनांक 20-06-01 एवं 08-04-03 के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्य कर्मी जिनके दिनांक 01-06-02 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पत्ति से दो से अधिक संतान हा तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे। अतः संस्थाप्रधान कार्यमुक्ति से पूर्व इस आ 1य की घोशणा प्राप्त करेंगे कि इनके 01.06.2002 को अथवा उसके प चात सन्तानोत्पत्ति से सन्तानों की कुल संख्या दो से अधिक नहीं हुई है। अन्यथा संबंधित संस्थाप्रधान राज्य सरकार की अधिसूचना के उल्लंघन के लिए व्यक्तिशः उत्तरदायी होंगे। साथ ही यदि किसी कार्मिक के वर्तमान में निलम्बन अथवा सीसीए 16, 17 के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही विचाराधीन हो तो ऐसे कार्मिक को पदोन्नति पर कार्यमुक्त न करें एवं सम्पूर्ण वस्तुस्थिति से अविलम्ब निम्न हस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे। संबंधित संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नत कार्मिक को निर्धारित तिथि तक पदोन्नति पर कार्यग्रहण करने हेतु यथा समय कार्यमुक्त अनिवार्य रूप से करें। यदि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति ग्रहण नहीं करना चाहता है तो संबंधित कार्मिक से लिखित में पदोन्नति परित्याग करने का आवेदन पत्र प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को स्वीकृति हेतु दिनांक 10.11.2017 तक अनिवार्यतः भिजवा दे तथा संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में पदोन्नति परित्याग करने का अनिवार्यतः इन्द्राज करें। पदोन्नति सूची में ऐसे कोई शिक्षक जो पूर्व में ही वरिष्ठ अध्यापक या उच्च पद पर अथवा विभाग में कार्यरत नहीं हो तो उनकी सूचना भी मण्डल कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी को भिजावे। वर्तमान पदस्थापन स्थान परिवर्तन की स्थिति में उक्त आदेश संबंधित संस्था प्रधान को वाहक स्तर पर भिजवाया जावे। पदोन्नति परित्याग की स्थिति में चयनित वेतनमान के संबंध में राज्य सरकार के प्रचलित आदेशानुरूप कार्यवाही की जावेगी।

संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे इन कार्मिकों की पदोन्नति पर कार्यमुक्ति/ कार्यग्रहण एवं परित्याग की समेकित सूचना कार्यग्रहण दिनांक के एक सप्ताह के अंदर मण्डल कार्यालय को वाहक स्तर पर उपलब्ध करावेगे। यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण मूल जिले से अन्य जिले में हो गया है तो आदेश प्रभावी नहीं होगा। संबंधित संस्था प्रधान राउमावि/रामावि इन पदोन्नत अध्यापकों को इनके नाम के सम्मुख विषय के रिक्त पद पर ही कार्यग्रहण करावे। "पदोन्नत शिक्षकों के पदोन्नति/पदस्थापन आदेश माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित विभिन्न याचिकाओं में प्रदत्त अन्तरिम आदेश व अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेंगे।"

संबंधित संस्थाप्रधान पदोन्नत कार्मिकों के विषय का प्रमाणीकरण स्नातक की मूल अंकतालिका से करते हुए शाला दर्पण अनुसार कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण करावे। अन्यथा स्थिति में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराते हुए इस कार्यालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं ई-मेल पर तुरन्त सूचित करेंगे।



(भरत मेहता)


शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक)

उदयपुर मण्डल, उदयपुर

दिनांक 27.10.2017

क्रमांक:-शिवनि-मा/उदय/संस्था-ब/फा-1081-85/2017-18/ 703
प्रतिलिपी-सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
3. शिक्षा उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उदयपुर मण्डल, उदयपुर
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा.....
5. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पं.स.....
6. संबंधित संस्था प्रधान, राउमावि/रामावि.....
7. संबंधित कार्मिक/व्यक्तिगत पंजिका
8. वरिष्ठता/संस्था-स अनुभाग, कार्यालय हाजा
9. गार्ड पत्रावली



शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक)

उदयपुर मण्डल, उदयपुर


कार्यालय शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) उदयपुर मण्डल, उदयपुर

क्रमांक:-शिक्षा-मा/उदय/संस्था-ब/फा-1081-85/2017-18/ 703

दिनांक 27.10.2017

विषय-उर्दू

क्र. सं.	वरिष्ठता क्रमांक	वरिष्ठता वर्ष	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान श्री/श्रीमती	वर्ग	जन्म तिथि	पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान	
						राउमावि/मावि	जिला
NON-TSP							
1	2277	1971-2011	शाकीर हुसैन/ मोहम्मद हुसैन राउप्रावि सीमेन्ट फैक्ट्री, चित्तौडगढ		03-06-69	शहीद मेजर नटवर (चित्तौडगढ)	चित्तौडगढ
2	2465	1971-2011	अन्तुम आसिया/आबिद हुसैन पठान राउमावि बानसेन- भदेसर, चित्तौडगढ		08-01-67	बा0शहर चित्तौडगढ (चित्तौडगढ)	चित्तौडगढ
3	4408	1971-2011	शहाना खान/अब्दुल सलाम राउमावि टांटोल-खमनोर, राजसमन्द		28-04-77	कुंवारीया (राजसमन्द)	राजसमन्द
4	5965	1971-2011	मो. शराफत शेख/शरीफ मोहम्मद राउप्रावि कापड़ियों का खेड़ा, चित्तौडगढ		02-02-70	निम्बाहेडा (निम्बाहेडा)	चित्तौडगढ
TSP							
1	8766	1971-2011	सद्दीक मोहम्मद/शफी खान राप्रावि झाझरवाकला-गांगडतलाई, बांसवाडा		01-06-78	शेरगढ (गांगडतलाई)	बांसवाडा



(भरत मेहता)

शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक)

उदयपुर मण्डल, उदयपुर